न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 67 / 2021 **दायर दिनांकः 17.03.2021**

उनवान

1. श्योजीराम आयु 60 वर्ष पुत्र मांगीलाल जाति मीणा निवासी मुण्डला बिसोती तह0 अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादी

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.एक्ट</u>
<u>एवं धारा 136 एल0 आर0 एक्ट</u>

उपस्थिति :—
वादी :— विद्वान अभिभाषक श्री भगवान स्वरूप मंगल।

आदेश दिनाकः 15 / 09 / 2021

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.एक्ट एवं धारा 136 एल0 आर0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल मुंडला बिसोती तहसील अटरू में खाता संख्या 128 की किता 15 का रकबा 8.59 है0 भूमि स्थित चली आ रही है। जिसमें वादी का हिस्सा 1/3 खाता दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबन्दी संलग्न है जो काबिल गौर है। वाद पत्र मी मद नं. 1 में वर्णित भूमि में वादी का नाम श्योजीराम होते हुए भी पटवारी हल्का ने शिवजी दर्ज कर दिया तथा पिता का नाम मांगीलाल दर्ज होना चाहिए था जिसके स्थान पर रामकरण दर्ज कर दिया जिसे वादी दुरूस्त करवाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने का अधिकारी है। वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित भूमि में वादी के पिता का स्वर्गवास हो जाने के पश्चात पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरण दर्ज करते वक्त वादी के पिता का नाम मांगीलाल के बजाय रामकरण दर्ज कर दिया जिससे वादी को ऋण प्राप्त करने में कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है तथा भूमि का विकास भी नहीं करवा पा रहा है। वादी वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित भूमि में रामकरण के स्थान पर मांगीलाल की घोषणा करवाकर खाते में दुरूस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.10.08 12:57:36 IST
Reason: SelfAttested

करवा कर राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने का अधिकारी है। वादी ने आज दिनांक 16.03.2021 को श्रीमान तहसीलदार साहब के यहां नाम दुरूस्ती बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तो श्रीमान तहसीलदार साहब ने सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने की हिदायत दी। वादी के पिता के आधार कार्ड, वोटर आईडी एवं बैंक के दस्तावेजात में मांगीलाल दर्ज होने से बिना सहायता न्यायालय राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करवाया जाना संभव नहीं है। अस्तु माननीय न्यायालय में यह वाद प्रस्तुत है। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से तथा वाद में आवश्यक पक्षकार होने से उसे प्रतिवादी बनाया गया है। राजस्थान सरकार को धारा 80 सी0पी0सी0 का नोटिस प्रेषित किया जाना आज्ञापक है लेकिन नोटिस की अवधि समाप्ति का इन्तजार किया गया तो वादी को अनेकानेक विवादों में उलझना पडेगा जिससे वादी को अपरिमित क्षति होगी। इसलिए मामला आवश्यक प्रकति का होने से धारा 80 (2) सी0पी0सी0 का अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय की इजाजत से वाद पेश है। वाद कारण दिनांक 16.03.2021 को श्रीमान तहसीलदार साहब द्वारा माननीय न्यायालय में वाद पेश करने की हिदायत देने पर बमुकाम उत्पन्न हुआ। विवादग्रस्त आराजी ग्राम मुण्डला बिसोती तह0 अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ठ के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर दावा हाजा पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। वाद उचित न्यायशुल्क एवं अवधि मध्य पेश है जो माननीय न्यायायलय द्वारा श्रवण योग्य है।

अतः माननीय न्यायालय में वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय की डिक्री पारित की जावे की वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित भूमि में वादी का नाम शिवजी के स्थान पर श्योजीराम तथा वादी के पिता का नाम रामकरण के स्थान पर मांगीलाल घोषित किया जाकर खाते को दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने के आदेश प्रदान किये जाने की कृपा करें।

अन्य न्यायोचित सहायता जो भी न्यायालय उचित समझे दिलाई जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा पेश न करने के कारण जवाब दावा बन्द किया गया। साक्ष्यवादी के अन्तर्गत pw1, pw2 का शपथ पत्र पेश किया गया। और साक्ष्यवादी पेश न करने के कारण शेष साक्ष्यवादी बंद किये जाते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.10.08 12:57:36 IST
Reason: SelfAttested

अभिभाषक वादी की एक तरफा बहस सुनी, अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया तथा कथन किया गया कि वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित भूमि ग्राम माल मुंडला बिसोती तहसील अटरू में खाता संख्या 128 की किता 15 का रकबा 8.59 है0 भूमि में वादी का नाम शिवजी के स्थान पर श्योजीराम तथा वादी के पिता का नाम रामकरण के स्थान पर मांगीलाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

अभिभाषक वादी को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया विवादित आराजी ग्राम मुंडला बिसोती में खाता संख्या 128 की किता 15 का रकबा 8.59 है0 भूमि में सहखातेदार शिवजी पुत्र रामकरण का नाम दर्ज है, प्रस्तुत रिकार्ड आधार कार्ड, राशन कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र, आयकर विभाग का पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड में श्योजीराम पुत्र मांगीलाल दर्ज है। ग्राम पंचायत मूण्डला बिसौती का प्रमाण पत्र दिनांक 23.09.2020 अनुसार शिवजीराम पुत्र मांगीलाल व श्योजीराम पुत्र मांगीलाल दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है तथा श्योजीराम, रामकरण का दत्तक पुत्र है। ग्राम पंचायत मूण्डला बिसौती का प्रमाण पत्र दिनांक 27.08.2021 अनुसार शिवजी का दस्तावेजों में नाम श्योजीराम है जो रामकरण का दत्तक पुत्र है।

अतः साक्ष्य व रिकार्ड के आधार पर न्यायहित में वादी का वाद स्वीकार योग्य है।

—:क्रियात्मक आदेश:—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित भूमि ग्राम मुंडला बिसोती में खाता संख्या 128 की किता 15 का रकबा 8.59 है0 में सहखातेदार शिवजी पुत्र रामकरण के स्थान पर शिवजी उर्फ श्योजीराम पुत्र मांगीलाल दत्तक पुत्र रामकरण दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है।

तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

Signature Not Verified

निर्णय आज दिनांक 15.09.202[illegible] [illegible] द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.10.08 12:57:36 IST
Reason: SelfAttested

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 67/2021

उनवान

1. श्योजीराम आयु 60 वर्ष पुत्र मांगीलाल जाति मीणा निवासी मुण्डला बिसोती तह0 अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.एक्ट
एवं धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....X................ रूबरू..............X..............................
बहाजिर :–
वादीः– विद्वान अभिभाषक भगवान स्वरूप मंगल।
मिनजानित मुदई रूबरू ....X...

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित भूमि ग्राम मुंडला बिसोती में खाता संख्या 128 की किता 15 का रकबा 8.59 है0 में सहखातेदार शिवजी पुत्र रामकरण के स्थान पर शिवजी उर्फ श्योजीराम पुत्र रामकरण दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है।

तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X..................... मुबालिक ....X............... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X......................... ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X.......................... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 16.08.2021 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प [illegible]	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान			मिजान

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.10.08 12:57:36 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)